सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 143 राँची, गुरुवार, 22 फरवरी, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

22 फरवरी, 2018

विषय :- सरकारी एवं खासमहाल भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर नीति निर्धारण के संबंध में ।

संख्या-4/स.भू. (नीति)-17/2018-817/रा.,-- ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारो के साथ भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-**6144/**रा., दिनांक **21 दिसम्बर**, **2017** द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है परन्तु अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सरकारी भूमि की लीज बन्दोबस्ती दखलकारों के साथ करने में कठिनाई महसूस की जा रही है ।

राज्य के विभिन्न गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी जमीन पर कई लोग वर्षों से अपना घर बनाकर रह रहे हैं, परन्तु उनके साथ भूमि बन्दोबस्ती करने में व्यवहारिक कठिनाई है । विभागीय संकल्प संख्या-**48,** दिनांक **3 जनवरी, 2017** द्वारा निर्धारित सलामी तथा रेंट की राशि देने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं जबकि अधिकांश दखलकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग से आते हैं ।

चूँकि राज्य सरकार वर्ष **2022** तक सभी को घर उपलबध कराने के लिए कृत संकल्पित है इसलिए इन दखलकारों के घरों को तोड़कर बेघर करना उचित प्रतीत नहीं हेता है । बन्दोबस्ती नहीं होने के फलस्वरूप राजस्व क्षति भी लगातार हो रही है ।

सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर निर्णय हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक **19 फरवरी, 2018** को संपन्न बैठक में की गई अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गयाः-

1. सरकारी भूमि की बंदोबस्ती/लीज बंदोबस्ती के संबंध में भूमि दर का सरलीकरण -

(क) भूमि की लीज बन्दोबस्ती केवल उन व्यक्तियों के साथ की जायेगी जो **1 जनवरी, 1985** से पूर्व भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं ।

(ख) अधिकतम **10** डिसमील तक ही आवासीय उद्देश्य हेतु लीज बन्दोबस्ती की जायेगी ।

(ग) यह लीज बन्दोबस्ती अहस्तान्तरणीय होगी । केवल उत्तराधिकार नामान्तरण (**Succession Mutation**) अनुमान्य होगा ।

(घ) इस लीज बन्दोबस्ती के लिए सलामी/लगान की गणना निम्न तालिका के अनुसार की जायेगी ।

तालिका

भूमि का मूल्य (प्रति डिसमिल)	**सलामी (लगान का 20 गुणा)**	**लगान (भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत)**	**सेस**	**30 वर्षो का लगान**	**कुल भुगतेय राशि (सलामी+30 वर्षो का लगान)**
100000	**10000**	**500**	**0**	**15000**	**10000+15000**

अर्थात 25,000/-

(च) इस लीज बन्दोबस्ती की कार्रवाई राज्य सरकार के अनुमोदन से की जा सकेगी ।

(छ) सलामी की राशि एकमुश्त देय होगी एवं लगान प्रतिवर्ष **30** वर्षों तक देय होगा अथवा इच्छानुसार/क्षमतानुसार **30** वर्षों का लगान एकमुश्त भी जमा किया जा सकेगा ।

शेष मामलों में राज्य सरकार के पूर्व के निर्णय प्रभावी होंगे ।

2. शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निजी संस्थाओं के साथ सरकारी भूमि बंदोबस्ती पर रोक से संबंधित संकल्प संख्या-307/स.को., दिनांक 23 जून, 2004 का निरस्तीकरण - राज्य के शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र में पड़नेवाले खासमहाल/सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती व्यक्ति विशेष तथा निजी संस्था के साथ नहीं करने का प्रावधान विभागीय परिपत्र संख्या-**307/**स.को.**,** दिनांक **23 जून, 2004** द्वारा निर्गत है । समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की संभावना को देखते हुए वास्तविक **(Genuine)** तथा योग्य (**Deserving**) मामलों में रिक्त/पुनर्ग्रहित सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती करने पर राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त मात्र निम्न के लिए उपरोक्त पत्र को इस हद तक संशोधित किया जाता है :-

(i) "सभी के लिए आवास" हेतु **10** डिसमील तक **1 जनवरी, 1985** अथवा उससे पूर्व से आवासित परिवारों के संबंध में रिक्त/पुनर्ग्रहित सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती**,** तथा

(ii) रिक्त/पुनर्ग्रहित (**Resumed**) खासमहाल भूमि के लीज बंदोबस्ती हेतु ।

एतद विषयक पूर्व निर्गत आदेश/निदेश/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत सरकारी एवं खासमहाल भूमि के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2018 में मद संख्या-15 के रूप में उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

ह०/-

उदय प्रताप,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 143 -- 50